फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

उमराव / नारी

किस्म मुकदमा : अपील मु0नं0 08/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.3.22	पत्रावली पेश । वकील अपीलाण्ट उपस्थित। वकील अपीलाण्ट की बहस अपील सुनी गई। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खाता संख्या 189 के ख0न0 226 एवं 226/1027 वाके राम पाडली तहसील सिकराय में स्थित है। समस्त भूमि का नामान्तकरण दिनांक 24.11.1977 को ग्राम पंचायत करोड़ी द्वारा स्वीकार किया गया तो अपीलान्ट का नाम उमराव के स्थान पर ओमी दर्ज करते हुये नामान्तकरण स्वीकार कर लिया गया जबकि अपीलान्ट का सही नाम उमराव है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत करोड़ी द्वारा स्वीकार नामान्तकरण दिनांक 24.11.1977 नामान्तकरण नम्बर 133 वाके रामा पाडली को निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार सिकराय को आदेशित किया जाता है कि अपीलान्ट के शुद्ध नाम उमराव पुत्र बद्री के नाम से नवीन नामान्तकरण भरा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	